हुक्म तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
22.07.24	पत्रावली पेश हुयी। अधि० उभयपक्ष द्वारा अधि० उभयपक्ष की पुनः बहस सुनी गई। अधि० वादी ने अपनी बहस मे प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुये निवेदन किया है कि विवादित आराजी हक वादीगण की खातेदारी की आराजी है जिसके अप्रार्थी खसरा नम्बर 127 की आड मे हक प्रार्थीगण की आराजी खसरा नम्बर 103, 104, 105 एवं 128 वाके ग्राम चक सहना मे स्थित आराजी से मिट्टी उठाकर बजरिए कब्जा करने पर उतारू है एवं प्रार्थीगण की आराजी से मिट्टी नहीं उठाने हेतु पाबंद करने का निवेदन किया। अप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि विवादित आराजी ग्राम चक सहना की है सहना की नहीं है। अप्रार्थीगण की आराजी खसरा नम्बर 127 वाके ग्राम चक सहना मे स्थित है जिसकी डौल मेड पूर्वजो के समय से ही बनी हुई है उक्त आराजी उबड खाबड होने की वजह से अप्रार्थी के द्वारा जमीन को उपजाऊ व समतल बनाने के लिये मिट्टी उठाई जा रही है। प्रार्थीगण मुझ अप्रार्थी की आराजी मे घुसकर निर्माण करने की फिराक मे है। प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने का निवेदन किया है। मेरे द्वारा उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया, प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली के साक्ष्य	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	उमेद बनाम सुभाष वगै०	

उपलब्ध वाचस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्राईमाफेसी केस, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के लिए प्रार्थीगण के हक में जाहिर होते हैं।

अतः अप्रार्थीगण के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा तावफैसला बाद [illegible] अमर की जारी कर पाबंद किया जाता है कि वे विवादित आराजी खसरा नम्बर $\frac{103}{0.52}$, $\frac{104}{0.58}$, $\frac{105}{0.42}$ व $\frac{128}{0.03}$ हे० वाके ग्राम चकसहना तहसील उच्चैन में मौके की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हस्ताक्षर)

सहायक कलक्टर
उच्चैन (भरतपुर)